संस्कृत वाङ्मय में अभिचर्चित मन्त्रिपरिषद् की वर्तमान में प्रासङ्गिकता

डॉ॰ निरुपमा त्रिपाठी

[The present study aims to elucidate the relevance of ancient Indian governance tactics in the contemporary scenario. By illustrative deduction, it is ascertained that the stable success of the epic rulers of India can be attributed to a formidable, vigilant and foresighted council of ministers. It also enumerates the type of ministers (based upon the department they observe) characteristics of able ministers, their code of conduct while they bear office and discusses their selection procedure as was followed in the ancient days. The paper pin-points clear suggestions for better governance in India.]

सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेकं न वर्तते।
कुर्वीत सचिवस्तस्मात्तेषां शृण्युयान्मतम्।।[1]

राजा और मंत्री साम्राज्यरूपी शकट के दो पहिए हैं, जिनके बिना वह अग्रगामी नहीं हो सकता। राजा की मर्यादा को निर्धारित करने के लिए, उसे प्रमाद से रोकने के लिए गुरुजन के समान अमात्यवर्ग को भी सचेष्ट रहना चाहिए–

मर्यादां स्थापयेदाचार्यानमात्यान् वा।[2]

इन्द्र को सहस्राक्ष कहा जाता है क्योंकि उसकी मन्त्रिपरिषद् में एक सहस्र बुद्धिमान् सदस्य थे जो उसके नेत्र कहलाते थे–

इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषदृषीणां सहस्रम्। स तच्चक्षुः तस्मादिमं द्वयक्षं सहस्राक्षमाहुः।[3]

प्राचीन भारतीय राष्ट्र की संघटना में मन्त्रिपरिषद् की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। शासन, न्याय, धर्म आदि से सम्बद्ध विषयों पर लिखे गए अनेक ग्रन्थों में इस पर विशद चर्चा हुई है कि एक सुदृढ़ एवं चिरस्थायी साम्राज्य के निर्माण में सुयोग मन्त्रियों का क्या महत्त्व है?

मन्त्रियों की सभा को ही सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् अथवा मन्त्रिमण्डल की संज्ञा प्राप्त है। जातक, महावस्तु और अशोक के शिलालेखों में इसे 'परिसा' कहा

गया है। वेदों में 'समिति' शब्द का प्रयोग मिलता है।[4] यद्यपि राजा प्रजा का स्वामी होता था तथापि वह उनकी इच्छा के विरुद्ध शासन नहीं करता था। जनता का शासन–कार्य लोकप्रिय परिषद् में, जिसे समिति कहते थे, होता था। समिति से ही राजसत्ता पर नियन्त्रण था। यह समिति ही सम्भवतः मन्त्रिपरिषद् थी। वैदिक ग्रन्थों में परिषद्, सभा और संसद का उल्लेख मिलता है किन्तु यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है कि ये कैसी संस्थाएँ थीं। छान्दोग्य में समिति और वृहदारण्यक उपनिषद् में परिषद् शब्द व्यवहृत है।[5]

मनु के अनुसार एक सरल कार्य भी केवल एक व्यक्ति द्वारा सम्पादित किए जाने पर कठिन हो जाता है। राज्य–कार्य तो महान् है। अतः इसके लिए सहायक के रूप में मन्त्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए–

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्।
विशेषतोऽसहायेन किं तु राज्यं महोदयम्।।[6]

शुक्र का कथन है कि मन्त्रियों से मन्त्रणा के बिना राजकार्य करना असम्भव है। मन्त्रियों के बिना राज्य का नाश होगा तथा राजा को भी कुमार्ग–पथ–गमन से रोका नहीं जा सकेगा।[7]

भारतीय संविधान की 74वीं धारा में कहा गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने और उसकी सहायता करने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका सर्वप्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री कहलाएगा।[8] भारत में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है जो कि नाम मात्र का शासक है। देश के शासन का वास्तविक संचालन तो संघीय मन्त्रिपरिषद् द्वारा किया जाता है। इसमें जनता के चुने प्रतिनिधि होते हैं। यह परिषद् चार प्रकार के मन्त्रियों से पूर्ण होती है–प्रधानमन्त्री, केबिनेट स्तर के मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा उपमन्त्री। मन्त्रियों के चयन की प्रक्रिया में प्रधानमन्त्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह प्रधानमन्त्री के परामर्श से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार वर्तमान भारतीय प्रजातान्त्रिक शासन–पद्धति में प्रचीन भारत के वंशपरम्परागत राजा के स्थान पर शासन का व्यावहारिक प्रमुख प्रधानमन्त्री होता है। यह निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि वह तथा उसके अन्य सहयोगी मन्त्री प्रजा द्वारा चयनित होते हैं। उनका कार्यकाल केवल पाँच वर्षों का होता है। यदि अपने शासन– काल में उन्होंने प्रजा को उत्तम शासन–व्यवस्था प्रदान की तब उनके पुनः चुने जाने की सम्भावना होती है अन्यथा प्रजा उन्हें अस्वीकार कर दूसरे व्यक्तियों को अवसर प्रदान करती है। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमन्त्री का तो यह दायित्व है ही कि वह अपने मन्त्रिपरिषद् में सुयोग्य मन्त्रियों को ही रखे, प्रजा का भी दायित्व है कि वह जिन व्यक्तियों का चयन करे उनकी योग्यता के विषय में पूर्णतया सुनिश्चित हो ले।

मनु ने मन्त्रियों के गुण निर्धारित किए हैं। मन्त्री वंशपरम्परागत, शास्त्रज्ञ, शूर, शस्त्र– विद्या विशारद् एवं सुपरीक्षित होने चाहिए–

मौलाञ्छास्त्रविदः शूराँल्लब्धलक्षान्कुलोद्भवान्।
सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्।।[9]

अर्थशास्त्र के अनुसार मन्त्री देशज, कुलीन, विद्वान्, ललित कलाओं का ज्ञाता, चतुर, पाक्पटु, उत्साही, प्रभावशाली, पवित्र, स्वामिभक्त, सुशील, स्वस्थ, धीर, निरभिमानी, प्रियदर्शी और द्वेष–बुद्धि से रहित होना चाहिए। इनमें एक चौथाई या आधी योग्यता वाले को मध्यम या निकृष्ट मन्त्री कहा जाना चाहिए–

जानपदोऽभिजातः स्ववग्रहः कृतशिल्पश्चक्षुष्मान् प्राज्ञो धारयिष्णुर्दक्षो वाग्मी प्रगल्भः प्रतिपत्तिमानुत्साहप्रभावयुक्तः क्लेशसहः शुचिर्मैत्रो दृढभक्तिः शीलबलारोग्यसत्त्वसंयुक्तः स्तम्भचापल्यवर्जितः संप्रियो वैराणामकर्तेत्यमात्यसंपत्। अतः पादार्धगुणहीनौ मध्यमावरौ।[10]

मन्त्रियों के इन गुणों की परीक्षाओं के विविध प्रकारों पर भी अर्थशास्त्र में विस्तार से चर्चा की गई है।[11] प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय राजा के व्यवहार की तीन विधियाँ बताई गई हैं। राजा अपने अमात्यों द्वारा परोक्ष विधि से विभिन्न कार्यों को सम्पादित करता है। एतदर्थ मन्त्रियों की परीक्षा करके ही उनकी नियुक्तियाँ की जानी चाहिए।[12] रामायण में मन्त्रियों के गुणों पर चर्चा करते हुए कहा गया गया है कि राजा के मन्त्रिसमुदाय में यदि एक मन्त्री भी मेधावी शूर–वीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी सम्पत्ति की प्राप्ति करा सकता है–

एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः।
राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्।।[13]

मन्त्री के वंशपरम्परागत होने पर रामायण में भी बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त उत्कोच जैसे दुर्गुण से रहित पवित्र भावना वाले मन्त्री ही राजा के द्वारा नियुक्त किए जाने चाहिए।[14] उत्कृष्ट मन्त्री वही है जो राजा की बाह्य चेष्टाओं से ही उसके हृदयंगम भावों को आत्मसात करके व्यवहार करे–

कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः।
कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः।।[15]

शुक्रनीति में भी मन्त्रियों के इन्हीं गुणों का वर्णन है–

अतः सहायान् वरयेद् राजा राज्यविवृद्धये।
कुलगुणशीलवृद्धान् शूरान् भक्तान् प्रियंवदान्।
निर्मत्सरान् कामक्रोधलोभहीनान् निरालसान्।[16]

महाभारत में भी मन्त्रियों के गुणों का सविस्तार वर्णन प्राप्त होता है[17]–

मन्त्रियों के गुणों से सम्बन्धित जो निर्देश उपर्युक्त ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं वे प्रधानमन्त्री के लिए मानक उपस्थित करते हैं अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति हेतु तथा प्रजा के लिए भी मानक हैं उन व्यक्तियों के चयन के लिए जिन्हें शासन–कार्य सौंपा जाना है।

मन्त्रिपरिषद् के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक राजकीय समस्याओं पर विचार करते हुए राज्य की उन्नति के लिए योजनाएँ निर्मित करना तथा उनका क्रियान्वयन है। इतना ही नहीं उनमें आने वाले विघ्नों का निवारण, राज्य के आय–व्यय के सम्बन्ध में नीति–निर्धारित करके उनका निरीक्षण करना, राजकुमारों की शिक्षा–दीक्षा की व्यवस्था करना तथा परराष्ट्र के सम्बन्ध में नीतियों का निर्धारण करना भी है। शुक्राचार्य का कथन है कि मन्त्री का मन्त्रित्व व्यर्थ है यदि वह राज्य, प्रजा, सेना, कोश–वृद्धि, राजा के गुणों की वृद्धि, शत्रु–क्षय आदि कार्य नहीं करता है।[18]

भारतीय संविधान में भी मन्त्रिपरिषद् के कार्य निर्धारित हैं। वह राष्ट्रहित में नीतियों का निर्धारण करता है, राष्ट्रपति को परामर्श देता है, शासन का उत्तरदायित्व वहन करता है, आर्थिक तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करता है। पृथक्–पृथक् मन्त्रियों को भिन्न–भिन्न विभाग वितरित कर दिए जाते हैं जिसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित मन्त्री का होता है। औपचारिक रूप से तो यह कार्य–विभाजन राष्ट्रपति करता है किन्तु वास्तविक रूप में यह प्रधानमन्त्री द्वारा किया जाता है। संघीय मन्त्रिपरिषद् में रेल, गृह, विदेश, वित्त, मानव–संसाधन आदि अनेक ऐसे विभाग हैं जो महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन विभागों के मन्त्री के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए जो उस विषय का ज्ञाता हो अन्यथा तत् तत् विभाग की व्यवस्था तो नष्ट होगी ही, राष्ट्र का भी विनाश होगा। वर्तमान शासन व्यवस्था में शनैः–शनैः यह बाध्यता क्षीण होती जा रही है कि मन्त्रियों की योग्यता के आधार पर उनके विभागों का वितरण हो। कई महत्त्वपूर्ण विभाग कभी–कभी ऐसे व्यक्तियों को सौंप दिए जाते हैं जिसे उसका कोई ज्ञान नहीं होता। प्रधानमन्त्री का कृपापात्र होना ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। इसी कारण अनेक विभागों में अव्यवस्था अथवा दुर्व्यवस्था का संचार हो रहा है। जनता भी अपने मताधिकार का सम्यक् प्रयोग नहीं कर रही है फलस्वरूप अयोग्य व्यक्तियों का चयन हो रहा है। आज चाणक्य की दृष्टि अत्यन्त प्रासङ्गिक है कि मन्त्री की नियुक्ति के पूर्व आप्त या सत्यवादी व्यक्ति द्वारा उसके निवास–स्थान एवं उसकी आर्थिक स्थिति का नए–नए कार्यों में नियुक्ति करके उसकी बुद्धि, स्मृति और चतुराई की परीक्षा की जानी चाहिए। मन्त्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भाषण देने की क्षमता रखतें हों तथा आवश्यकता पड़ने पर सदन में प्रश्नों का उत्तर दे सके तथा अपने विभाग का प्रशासन कुशलतापूर्वक संचालित कर सके। इस सन्दर्भ में चाणक्य का निर्देश है कि विविध व्याख्यानों एवं सभाओं के माध्यम से उसकी वाक्पटुता और प्रगल्भता की परीक्षा की जानी चाहिए।[19] अमरीका जैसे अतिविकसित देश में किसी भी ऐसे व्यक्ति को वह मन्त्राालय नहीं सौंपा जाता जिसका उसे ज्ञान न हो। उसके प्रत्येक विभाग का मन्त्री सम्बन्धित विषय का पूर्ण विशेषज्ञ होता है।

मन्त्रियों के साथ की गई मन्त्रणा गुप्त रहे यह भी राजा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। अर्थशास्त्र में मन्त्र की सुरक्षा हेतु मन्त्रणा–गृह के

सुरक्षित होने पर बल दिया गया है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि कोई गुप्त मन्त्रणा को सार्वजनिक करने का प्रयास करता है तो उसे तत्काल मृत्यु– दण्ड देना चाहिए।[20]

किसी राजकीय समस्या पर विचार करने हेतु राजा को चाहिए कि सभी मन्त्रियों से पहले पृथक् पृथक् मन्त्रणा करे तत्पश्चात् उन्हें एकत्रित कर परामर्श करे–

तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक्।
समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धितमात्मनः।।[21]

इस सम्बन्ध में कौटिल्य के भी यही विचार हैं कि राजा को तीन या चार मन्त्रियों से परामर्श करके निर्णय करना चाहिए। देश, काल और कार्य की परिस्थिति के अनुसार एक या दो मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा की जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर राजा के द्वारा एकाकी ही अपनी विचार–क्षमता के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।[22]

वृहस्पतिशास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि प्रत्येक कार्य को, जो सर्वथा न्यायसंगत एवं धर्मानुमोदित हो, उसे भी मन्त्रियों की स्वीकृति से ही करना चाहिए।[23] रामायण में कहा गया है कि अच्छी मन्त्रणा राजाओं के विजय का मूल कारण है, किन्तु यह तभी सफल होती है जब नीतिशास्त्र–निपुण मन्त्री उसे सर्वथा गुप्त रखें–

मन्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव।
सुसंवृतो मन्त्रिधुरैरमात्यैः शास्त्रकोविदैः।।[24]

सामान्यतया मन्त्री के लिए अमात्य शब्द का भी व्यवहार होता है, किन्तु अर्थशास्त्र में मन्त्री और अमात्य में अन्तर बताया गया है। अमात्य का स्थान मन्त्री से नीचे था। दोनों के वेतन में भी अन्तर था। आवश्यक मन्त्रणाओं में दोनों को आहूत किया जाता था।[25]

मन्त्रिपरिषद् में मन्त्रियों की संख्या के सम्बन्ध में अनेक मत प्राप्त होते हैं। मनु ने इनकी संख्या सात अथवा आठ बताई है।[26] महाभारत में प्रथमतः तो मन्त्रिपरिषद् में मन्त्रियों की सख्या सैंतीस वताई गई है।[27] उसके अनुसार मन्त्रिपरिषद् में चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य था। विशेष मन्त्रणा के लिए आठ चयनित मन्त्री ही उपयुक्त बताए गए हैं।[28] अर्थशास्त्र में अनेक आचार्यों के मतो के उल्लेखपूर्वक कौटिल्य ने अपना मत दिया है कि आवश्यकतानुसार मन्त्रियों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए।[29]

शुक्राचार्य ने मन्त्रियों की संख्या दस बताई है तथा जेष्ठता क्रम से उनके नाम भी दिए हैं। इसके साथ ही उनके कार्यों का भी विभाजन किया है।[30] पुरोहित, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मन्त्री, प्राड्विवाक, पण्डित, सुमन्त्र, अमात्य, दूत, ये कार्य के अनुसार मन्त्रियों के नाम हैं। इनमें प्रतिनिधि का मन्त्रिपरिषद् में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

मन्त्रिपरिषद् से सम्बद्ध मन्त्रियों के वर्ग और वेतन का निर्धारण भी प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त होता है। वाल्मीकीय रामायण एवं शुक्रनीति में मन्त्रियों की तीन श्रेणियाँ उल्लिखित हैं– मुख्य, मध्यम एवं निम्न।[31] कौटिल्य राजकीय अधिकारियों के वेतन–प्रसंग में मन्त्रिपरिषद् से सम्बद्ध तीन वर्ग निर्धारित करते हुए उनके भी वेतन का उल्लेख करते हैं। प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले प्रधानमन्त्री को 48 हजार पण प्रतिवर्ष वेतन के रूप में देय होता था। द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आयमन्त्री का वेतन 24 हजार पण प्रतिवर्ष बताया गया है तथा 12 हजार पण प्रतिवर्ष तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत शेष सभी मन्त्रियों को देय था।[32]

भारतीय संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मन्त्रियों की कुल संख्या कितनी होगी तथा किस विभाग में कितने मन्त्री होंगे। इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री को पूर्ण अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यकतानुसार मन्त्रियों को नियुक्त करे किन्तु मन्त्रिपरिषद् में कुल मन्त्रियों की संख्या लोक सभा के सदस्यों के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारत विश्व का सर्वाधिक विशाल प्रजातान्त्रिक देश है। यदि वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था में मन्त्रियों के चयन एवं उनके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रचीन आचार्यों की दृष्टि का अक्षरशः अनुपालन किया जाए तो निःसन्देह भारत विश्व का सबसे अधिक समृद्धिपूर्ण एवं सुशासनसंपन्न देश सिद्ध होगा।

सन्दर्भ सूची :

1 कौटिलीय अर्थशास्त्र, 3/6

2 कौटिलीय अर्थशास्त्र, 3/6

3 कौटिलीय अर्थशास्त्र, 10/14

4 ध्रुवाय ते समितिः कल्पताम्। अथर्ववेद, 6/88/3

5 क–पञ्चालानां समितिम्, छान्दोग्योपनिषद्, 5/3
ख–पञ्चालानां परिषदम्, वृहदारण्यकोपनिषद् 6/2

6 मनुस्मृति, 7/55

7 विना प्रकृतिसन्मन्त्राद् राज्यनाशो भवेद् ध्रुवम्।
रोधनं न भवेत् तस्माद् राज्ञस्ते स्युः सुमन्त्रिणः।। शुक्रनीति, 2/80

8 A council of ministers with Prime Minister at the head to aid or advice the President in the exercise of his function.

9 मनुस्मृति, 7/54

10 कौटिलीय अर्थशास्त्र, 4/8

11 तेषां जनपदमवग्रहं–––––––––––संप्रियत्वमवैरित्वं च। कौटिलीय अर्थशास्त्र, 4/8

12 प्रत्यक्षपरोक्षानुमेया ––––––––––– कारयेदित्यमात्यकर्म। कौटिलीय अर्थशास्त्र, 4/8

13 वाल्मीकीय रामायण, 2/100/24

14 अमात्यानुपघातीतान् पितृपैतामहाञ्शुचीन्।
श्रेष्ठाञ्ज्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु।। वाल्मीकीय रामायण, 2/100/26

15 वाल्मीकीय रामायण, 2/100/15

16 शुक्रनीति, 2/7–9

17 महाभारत, शान्तिपर्व, 83/19–24, 115/16–18, 118/7–14

18 राज्यं, प्रजा, बलं कोशः सुनृपत्वं न वर्धितम्।
न मन्त्रोऽरिनाशस्तैर्मन्त्रिभिः कि प्रयोजनम्।। शुक्रनीति, 2/82

19 कौटिलीय अर्थशास्त्र, 4/8

20 तदुद्देशः संवृतः कथानामनिःस्रावी पक्षिभिरप्यनालोक्यः स्यात्। श्रूयते हि शुकशारिकाभिर्मन्त्रो भिन्नः श्वभिरन्यैश्च तिर्यग्योनिभिः। तस्मान्मन्त्रोद्देशमनायुक्तो नोपगच्छेत्। उच्छिद्येत मन्त्रभेदी। कौटिलीय अर्थशास्त्र, 10/14

21 मनुस्मृति, 7/57

22 क– मन्त्रिभिस्त्रिभिश्चतुर्भिर्वा सह मन्त्रयेत। मन्त्रयमाणो ह्येकेनार्थकृच्छ्रेषु निश्चयं नाधिगच्छेत्।
ख– देशकालकार्यवशेन त्वेकेन सह द्वाभ्यामेको वा यथासामर्थ्यं मन्त्रयेत। कौटिलीय अर्थशास्त्र, 10/14

23 वृहस्पतिशास्त्र, 1/4,5

24 वाल्मीकीय रामायण, 2/100/16

25 विभज्यामात्यविभवं देशकालौ च कर्म च।
अमात्याः सर्व एवैते कार्याः स्युंन तु मन्त्रिणः।। कौटिलीय अर्थशास्त्र 3/6

26 सचिवान् सप्त चाष्टौ वा, प्रकुर्वीत परीक्षितान्। मनुस्मृति, 7/54

27 चतुरो ब्राह्मणान् वैद्यान्,प्रगल्भान् स्नातकान् शुचीन्।
क्षत्रियांश्च तथा चाष्टौ, बलिनः शस्त्रपणिनः।।
वैश्यान् वित्तेन संपन्नान्,एकविंशतिसंख्यया।
त्रींश्च शूद्रान् विनीतांश्च, शुचीन् कर्मणि पूर्वके।।
अष्टाभिश्च गुर्णैयुक्तं, सूतं पौराणिकं तथा।। महाभारत,शान्तिपर्व, 85/7–9

28 अष्टानां मन्त्रिणां मध्ये, मन्त्रं राजोपधारयेत्।महाभारत,शान्तिपर्व, 85/11

29 मन्त्रिपरिषदं द्वादशामात्यान् कुर्वीतेति मानवाः। षोडशेति बार्हस्पत्याः। विंशतिमित्यौशनसाः।
यथासामर्थ्यमिति कौटिल्यः।कौटिलीय अर्थशास्त्र 10/14

30 पुरोधाः प्रतिनिधिश्चैव, प्रधानः सचिवस्तथा। मन्त्री च प्राड्विवाकश्च, पण्डितश्च सुमन्त्रकः।।
अमात्यो दूत इत्येता राज्ञः प्रकृतयो दश। दशमांशाधिकाः पूर्वं दूतान्ताः क्रमशः स्मृताः।। शुक्रनीति, 2/70–71

31 क–कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः।
जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात नियोजिता।। वाल्मीकीय रामायण, 2/100/25
ख–शुक्रनीति, 2/107,108

32 कौटिलीय अर्थशास्त्र, 91/3

***